दैनिक भास्कर, दिनांक ५ फरवरी २०१०, शुक्रवार

भास्कर खबर से आगे

देहदान : कौन कर सकता है, कैसे होता है शरीर 'अमर' और होते हैं कोन से शौध?

कौन कर सकता है देहदान

अठारह वर्ष से अधिक आयु का रोई भी व्यक्ति देहदान कर सकता है। इसके लिए उसे इच्छा-पत्र भरना होता है, जिसमें दो गवाहों की जरुरत होती है। कुल तीन फार्म भरे जाते हैं। पहला फॉर्म उस व्यक्ति के पास होता है जिसे देहदान करना है। दूसरा संबंधित मेडिकल कांलेज के एनाटांमी डिपार्टमेंट के पास रहता है और तीसरा फॉर्म देहदान करने वाला व्यक्ति अपने नजदीकी संबंधी, उत्राधिकारी या अपने वकील को दे सकता है। थौड़े फेरबदल के साथ सभी राज्यों में यही प्रक्रिया होती है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में देहदान के इच्छुक को एसडीम के समक्ष रक्त संबंधी की मौजूदगी में शपथ पत्र भरना होता है। क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से इसका सत्यापन किया जाता है। फिर परिजनों को एक कार्ड दिया जाता है। देहदान के समय यह कार्ड पेश करना होता है।

दानदाताओं की कमी नहीं

चंडीगढ़ के मेडिकल संस्थानों को गत तीन वर्षों में दान में १७ शरीर मिले हैं। इसके अलावा ६३१ लोगों ने देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रमुख डॉ. सीके शुक्ला के मुताबिक गत तीन वर्ष में कॉलेज को २३ शरीर दान में मिले हैं। सामाजिक संस्था 'बढ़ते कदम' ने देहदान के लिए जागरुकता फैलाई है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को पिछले दीन साल में दस बॉडी मिली हैं। भोपाल में महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी वीभाग के प्रमुख डॉ. भानुप्राखास दुबे बताते है कि आमतौर पर वारिस की आपत्ति के कारण देहदान नहीं हो पाता। यही वजह है कि पिछले साल दान में सिर्फ पांच शरीर मिले। मुंबई में महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा व शाध विभाग के सह-संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे के मुताबिक राज्य के १४ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को गत वर्ष दान में १८० बॉडी मिली। गुजरात में बीते चार वर्षों में ११३ लोगों ने देहदान किया। इसमें ६० फीसदी पुरूष थे।

अध्ययन से शोध तक, कई उपयोग

- रक्त संचरण प्रणाली, हड्डियों के जोड़ और ऊतकों का अध्ययन।
- नई सर्जिकल प्रक्रियाओं और उपकरणों का परीक्षण।
- जलने या गंभीर चोट में त्वचा को नुकसान पहुंचने पर टिश्यू प्रत्यारोपण में।
- कंधे के जोड़ के साँकेड, बोन व कार्टीलेज का प्रत्यारोलण।
- की-होल सजरी की कला सीखने में।
- खराब होती देह संबंधी जानकारी से हत्या जैसे अपराधों की जांच में मदद।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में अंतरिक्ष में मानव के आंतरिक अंगों व रीढ़ पर पड़ने वाले असर का अध्ययन।
- कार में बैठे व्यक्ति पर दुर्घटना असर जांचने के लिए क्रेश टेस्ट में।

ऐसे होता है शरीर 'अमर'

दान में मिली देह पर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद उसे १० फीसदी फार्मेलिन में दस दिन तक रखा जाता है। इससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और देह खराब नहीं होती। इसे एम्बामिंग कहते हैं। डेड बाडी की कोशिकाओं में पोलीमर डालकर भी इसे संरक्षित किया जाता है। इसे प्लास्टीनेशन करते हैं। इसके जरिए अध्ययन के लिए विभिन्न अंगों के मॉडल बनाए जाते हैं जो कभी खराब नहीं होते। एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर व प्लास्टीनेशन इंचार्ज डां. रेणु धींगरा ने कहा, आजकल अनक्लेम्ढ या लावारिस बॉडी की बजाय हमें डोनेशन के जरिए ही अधिक बॉडी मिल रही है।

तब स्वीकार नहीं होती देह

- बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया हो
- अत्यधिक सड़न
- अधिक मोटापा
- अत्यधिक दबलापन
- संक्रामक रोग से मौत
- आत्महत्या अधना हत्या
- आंखों के अलाना अनाय अंग निकाल लिए गाए हो।

झनपुट: नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर, चंडीगढ़, भोपाल | फाटो: ओपी सोनी | इल्सट्रेशनः गौतम | **नेशनल न्यूजरूम**